अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

1

न्यायालय उपायुक्त, रॉची

अधिग्रहण वाद सं० 18 आर० 28/2022–23

07
18.09.2023

राज्य

बनाम

शाहदेव महतो पिता स्व० करमनाथ महतो निवासी ग्राम ताउ, थाना बुण्डू, जिला रॉची ..... विपक्षी

आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्रवाई पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, रॉची के द्वारा ज्ञापांक 3705/अप०शा०(ग्रा०) दिनांक 20.07.2022 के माध्यम से बुण्डू थाना कांड सं0–26/22 दिनांक 23.03.2022 धारा–379 भा०द०वि० एवं 4/21 MMDR Mines & Mineral (D&R) Rule 1957 & 54 Jharkhand Minor Mineral Concession Rules, 2004 & 07/09 Jharkhand Mineral (Prevention of Illegal Mining Transportation & Storage) Rule 2017 में जप्त हाईवा वाहन सं० – JH-01BH-7942 को राजसात की कार्रवाई करने के अनुशंसा के आधार पर आरम्भ किया गया है।

प्राप्त प्रतिवेदनानुसार उपरोक्त बुण्डू थाना काण्ड सं० 26/22 वादी श्री राजेश डुंगडुंग, अँचल अधिकारी बुण्डू, रॉची के द्वारा प्राथमिकी अभियुक्त हाईवा वाहन सं० JH-01BH-7942 के मालिक तथा चालक के विरुद्ध बालु का अवैध करोबार एवं चोरी कर बिक्री हेतु ले जाते समय बुण्डू ओवर ब्रिज पर पकडे जाने के आरोप मे प्रतिवेदित किया गया है। अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण उपरान्त इस काण्ड को धारा–379 भा०द०वि० एवं 4/21 Mines & Mineral (D&R) Rule 1957 & 54 Jharkhand Minor Mineral Concession Rules, 2004 & 07/09 Jharkhand Mineral (Prevention of Illegal Mining Transportation & Storage) Rule 2017 के अन्तर्गत उपरोक्त प्राथमिकी अभियुक्त के खिलाफ सत्य पाया गया है।

विपक्षी द्वारा दायर कारण पृच्छा के अनुसार – विपक्षी हाईवा वाहन सं० JH-01BH-7942 के निबंधित स्वामी है। विपक्षी का कथित

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

बालु के चोरी से कोई वास्ता नही है। पुलिस के द्वारा उन्हे गलत रूप से फसाया गया है। प्रस्तुत मामले मे विपक्षी को माननीय न्यायालय से जमानत प्राप्त है। विपक्षी के वाहन की जप्ती Rule II (iv) of The Jharkhand Mines (Prevention of Illegal Mining, Transport and Storage) Rule, 2017 मे निहित प्रावधान के अनुसार नही किया गया है। वाहन के वास्तविक स्वामी को जप्ती सुची विधिवत हस्तगत नही कराया गया है। प्रस्तुत मामले मे एफ० आई० आर० पुलिस के द्वारा किया गया है जबकि एम० एम० डी० आर० एक्ट के धारा 22 के अनुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत परिवाद मात्र केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा अधिकृत प्राधिकार के द्वारा ही किया जा सकता है।

2002 (10) SCC 283 (Sunderbhai Ambalal Desai Versus State of Gujarat) मे माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा आयोजित किया गया है कि *In our view, whatever be the situation, it is of no use to keep such seized vehicles at the police stations for a long period. It is for the Magistrate to pass appropriate orders immediately by taking appropriate bond and guarantee as well as security for return of the said vehicles, if required at any point of time. This can be done pending hearing of applications for return of such vehicle*

उपरोक्त वाहन विपक्षी के जिविकोपार्जन का एकमात्र जरिया है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुसार उक्त वाहन को उसके स्वामी के द्वारा उचित बॉड एवं प्रतिभूति के निष्पादन पर मुक्त कर दिया जाए। विपक्षी इस न्यायालय के द्वारा लगाई गई सभी शर्त्तो का पालन करने के लिए तैयार है।

प्रार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता को सुना। अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी के द्वारा उपरोक्त वाहन मे परिवहन किये जा रहे बालु के वैधनिकता के संदर्भ मे ना तो कोई प्रमाणिक साक्ष्य ना ही तथ्यात्मक कागजात प्रस्तुत किये गये है। विपक्षी यह भी साबित करने के विफल रहे है कि बालु के उक्त अवैध परिवहन से उनका कोई वास्ता नही है तथा उसका परिवहन उनके जानकारी एवं सहमति के बगैर किया जा रहा था। अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण उपरान्त इस काण्ड को धारा–379 भा०द०वि० एवं 4/21 Mines & Mineral (D&R) Rule 1957 & 54 Jharkhand Minor Mineral Concession Rules, 2004 & 07/09 Jharkhand Mineral (Prevention of

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

Illegal Mining Transportation & Storage) Rule 2017 के अन्तर्गत उपरोक्त प्राथमिकी अभियुक्त के खिलाफ सत्य पाया गया है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उपरोक्त वाहन मे लघु खनिज/बालु का परिवहन अवैध रूप से किया जा रहा था, जिससे राज्य को राजस्व का नुकसान हुआ है।

अतः बुण्डू थाना कांड सं0–26/22 दिनांक 23.03.2022 में जप्त हाईवा वाहन सं० JH-01BH-7942 को राजसात किया जाता है।

इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।

उपायुक्त
रॉची

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त
रॉची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.11.23 01:50:00 -08:00
Location: 192.168.1.4